

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE (EXTRA ORDINARY))

**DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054.
Fax No. 23818298, E-Mail Address: dagri@sansad.nic.in**

No. F. 8/23/2010-DAM/MR/ 4272

Dated: 20/8/2010

NOTIFICATION

No. F. 8/23/2010-DAM/MR/ In exercise of the powers conferred under Section 41 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi hereby extends the term of the following Marketing Committees upto the date mentioned in column number 4 below or till the time the reconstitution of the aforesaid committees is done after the elections, whichever is earlier: -

S.No.	Name of the Committees	Date of Expiry of term	Extended upto
1	2	3	4
1.	APMC Shahdara, Gazipur	09.07.2010	30.11.2010
2.	Flower Marketing Committee, Mehrauli	17.07.2010	30.11.2010
3.	Khoya/Mawa Marketing Committee, Bagh Diwar/Mori Gate	09.07.2010	30.11.2010
4.	APMC, Keshopur	09.07.2010	30.11.2010
5.	APMC, Najafgarh	09.07.2010	30.11.2010
6.	APMC, Narela	18.07.2010	30.11.2010

**By order and in the name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi**

Kailash

**(KAILASH CHANDRA)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI**

No. F. 8/23/2010-DAM/MR/ 4273-4298

Dated: 2-18/2010

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. The Chairman/Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara, Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Bagh Diwar/Mori Gate and Flower Marketing Committee, Mehrauli, Delhi.
11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.

Kailash

(KAILASH CHANDRA)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

कृषि विपणन निदेशालय

(विकास विभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

फैक्स संख्या: 23818298 ई मेल पता: dagri@sansad.nic.in

सं. एफ 8/23/2010/डी0ए0एम0/एम0आर0/ 4272

दिनांक : 20/8/2010

अधिसूचना

सं. एफ 8/23/2010/डी0ए0एम0/एम0आर0/ दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 7) की धारा 41 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित विपणन समितियों का कार्यकाल निम्न कॉलम सं0 4 में उल्लिखित तिथि तक या पूर्वोक्त समितियों के चुनावों के उपरान्त पुनर्गठन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:-

क्रम.सं0	कृषि उत्पाद विपणन समिति का नाम	कार्यकाल समाप्त होने कि तिथि	कब तक बढ़ाया
1	2	3	4
1.	कृषि उत्पाद विपणन समिति, शाहदरा, गाजीपुर	09.07.2010	30.11.2010
2.	पुष्प विपणन समिति, महरौली	17.07.2010	30.11.2010
3.	खोया/मावा विपणन समिति, बाग दिवार/मोरी गेट	09.07.2010	30.11.2010
4.	कृषि उत्पाद विपणन समिति, केशोपुर	09.07.2010	30.11.2010
5.	कृषि उत्पाद विपणन समिति, नजफगढ़	09.07.2010	30.11.2010
6.	कृषि उत्पाद विपणन समिति, नरेला	18.07.2010	30.11.2010

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

कैलाश चन्द्र

(कैलाश चन्द्र)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं. एफ 8/23/2010/डी0ए0एम0/एम0आर0/ 4273-4298

दिनांक : 20/8/2010

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 7 विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- 10 अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, बाग दीवार/मोरी गेट एवम् पुष्प विपणन समिति, महरौली, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

कैलाश चन्द्र

(कैलाश चन्द्र)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार